प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

निविदा सूचना

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के वित्तीय वर्ष 2019–20 के गैर योजना मद मे विभिन्न विभागों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु अलग–अलग मद के लिए मशीनउपकरण, आधारभूत संरचना, उपस्कर, दवा–रसायन, ग्लास वेयर, विविध सामग्री, प्रकाशन एवं मुद्रण, स्टेशनरी, विधुत सामग्री, प्लम्बर सामग्री, वर्दी, पोशक, छात्र छात्राओ हेतु अलग–अलग जिम का सामान प्रशिक्षक के साथ एवं अन्य सामग्री हेतु मुहर बंद लिफाफे मे निबंधित/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा इच्छुक निर्माताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत बिक्रेताओं/आपूर्तिकत्ताओं से प्रथम निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन के अपराह्न 5.00 बजे तक (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (M.S.Excel) सी0डी0/डी0भी0डी0) के साथ निविदा आमंत्रित किया जाता है। यदि 21 वें दिन किसी प्रकार की छुट्टी रहती है या अपरिहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बंद रहता है तो उसके अगले दिन तक निविदा प्राप्त की जायेगी। उपर्युक्त दिए गए अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के उपरान्त तीन दिनों के अन्दर क्रय समिति के समक्ष निविदा कार्यालय अवधि मे अपराहन मे खोला जायेगा। जिसमे निविदादाता या उनके प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते है। इसके लिए अलग से सूचना नही दी जायेगी। बैठक की तिथि कार्यालय सूचना पट्ट/कॉलेज बेवसाईट पर देखा जा सकता है। प्रथम प्रकाशन की तिथि से ही सामानों की सूची, शर्त्त एवं सत्यंकर राशि की विवरणी महाविद्यालय प्राचार्य कार्यालय के web Site- www.skmedicalcollege.org/www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

PR. No. 02078 (Health) 2019-20

Govt. of Bihar

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

निविदा सूचना

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के वित्तीय वर्ष 2019–20 के गैर योजना मद मे विभिन्न विभागों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु अलग–अलग मद के लिए मशीनउपकरण, आधारभूत संरचना, उपस्कर, दवा–रसायन, ग्लास वेयर, विविध सामग्री, प्रकाशन एवं मुद्रण, स्टेशनरी, विधुत सामग्री, प्लम्बर सामग्री, वर्दी पोशक, छात्र छात्राओ हेतु अलग–अलग जिम का सामान प्रशिक्षक के साथ एवं अन्य सामग्री हेतु मुहर बंद लिफाफे मे निबंधित/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा इच्छुक निर्माताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत बिक्रेताओं/आपूर्तिकत्ताओं से प्रथम निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन के अपराह्न 5.00 बजे तक (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (**M.S.Excel**) सी0डी0/डी0भी0डी0) के साथ निविदा आमंत्रित किया जाता है। यदि 21 वें दिन किसी प्रकार की छुट्टी रहती है या अपरिहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बंद रहता है तो उसके अगले दिन तक निविदा प्राप्त की जायेगी। उपर्युक्त दिए गए अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के उपरान्त तीन दिनों के अन्दर क्रय समिति के समक्ष निविदा कार्यालय अवधि मे अपराहन मे खोला जायेगा। जिसमे निविदादाता या उनके प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते है। इसके लिए अलग से सूचना नही दी जायेगी। बैठक की तिथि कार्यालय सूचना पट्ट/कॉलेज बेवसाईट पर देखा जा सकता है। प्रथम प्रकाशन की तिथि से ही सामानों की सूची, शर्त्त एवं सत्यंकर राशि की विवरणी महाविद्यालय प्राचार्य कार्यालय के **Web Site-www.skmedicalcollege.org** पर देखा जा सकता है।

Binay Kumar
31/5/19.
प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

शर्त्तें

A. अनिवार्य शर्त्तें :–

1) निविदा दो प्रकार की होगी :–

(क) तकनिकी निविदा
(ख) वित्तीय निविदा।

दोनों निविदा को अलग अलग मुहरबंद लिफाफे मे जिसके उपर तकनिकी एवं वित्तीय निविदा लिखकर एक बड़े लिफाफे मे मुहरबंद कर प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को निबंधित/स्पीट पोस्ट डाक द्वारा भेजना है।

2) निविदा कम्प्यूटराईज होना चाहिए। हाथ से लिखा हुआ मान्य नही होगा। किसी प्रकार का काट–कूट होने पर निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा।

3) सत्यंकर राशि :– निविदादाता को निविदा के साथ सत्यंकर राशि के रूप में निम्न अंकित राशि किसी भी राष्ट्रीय बैंक का बैंक ड्राफ्ट अथवा एन0 एस0 सी0 जो प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के पद नाम से हो सलग्न करना अनिवार्य है। दर अनुमोदित होने पर जबतक आपूर्ति होता रहेगा सत्यंकर राशि सामानों की गारंटी/वारंटी अवधि तक वापस नही किया जायेगा।

1. मशीन उपकरण	
क. स्नातक कोर्स हेतु मशीन	25,000/–
ख. स्नातकोत्तर कोर्स हेतु	25,000/–
2. आधारभूत संरचना (स्नातकोत्तर कोर्स हेतु)	25000/–
3. उपस्कर	25,000/–
4. रसायन किटस्, ग्लासवेयर	25,000/–
5. विविध सामग्री	25000/–
6. जिम सामाग्री	20,000/–
7. प्रकाशन एवं मुद्रण	5,000/–
8. वर्दी पोशाक	5,000/–
9. स्टेशनरी	5,000/–
10. विधुत सामग्री	5,000/–
11. प्लम्बर सामग्री	5,000/–

4) तकनिकी निविदा (अनिवार्य) :–

1. GST का निबंधन का प्रमाण–पत्र।
2. पैन नं0 तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 का आयकर चुकती प्रमाण पत्र का छाया प्रति।

3. फर्म/प्रोप्रराईटर के निबंधित होने का सरकारी प्रमाण–पत्र (जिसमें लागु हो) तथा किस कार्य के लिये निबंधित है से संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति जिससे स्पष्ट हो की संबंधित व्यक्ति फर्म के प्रोप्राईटर है। फर्म/कम्पनी/प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम, पूरा पता मोबाईल नं0 एवं ई–मेल अंकित होना चाहिए।
4. Notary Public द्वारा फर्म को काली सूची में नही है अथवा काली सूची में डालने की प्रकिया में नहीं होने का स्व–अभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना है।

5) वित्तीय निविदा (अनिवार्य) :–

1. वित्तीय निविदा में मात्र छुट सहित दर कर सहित एवं कर रहित देना है।
2. दर में किसी प्रकार का मात्र छूट अंकित न कर छूट सहित दर अंकित करें।

B. अन्य शर्त्तें :–

1. तकनीकी निविदा के तहत सामानों का तकनीकी विवरण आई0एस0आई0/आई0एस0ओ0 के द्वारा प्रमाण पत्र, पेन नम्बर कार्ड, निबंधन प्रमाण–पत्र, GST निबंधन प्रमाण–पत्र एवं किस कार्य के लिए निबंधित है की स्पष्ट छाया प्रति जो स्व अभिप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है। निविदादाताओं के निर्माता/अधिकृत विक्रेता एवं प्राधिकृत वितरक यदि है का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। जिन निविदादाता/आपूर्तिकर्ता के मशीनों/सामानों का दर क्रय समिति के द्वारा स्वीकृत किया जाता है एवं क्रयादेश निर्गत होने के उपरांत मशीनों/सामानों के निश्चित अवधि तक के लिये सफल संचालन हेतु एकरारनामा करना होगा। तकनिकी निविदा के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये सामानों की सूची (इन्डेक्स) आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निविदा सूची के क्रमवार तकनिकी विवरण अंकित होना चाहिए कि वे किन–किन कार्यो हेतु निविदा दे रहें है एवं इस निविदा में अंकित सामानों का पृष्ठ संख्या क्या है।

2. निविदादाताओं को प्रत्येक सामानों/कार्यो का बाजार दर तथा उसमें लगने वाले एसेसिरीज का दर अधिष्ठापन का दर तथा अन्य दर जो नियमतः देय हो को वित्तीय निविदा में सामानों/कार्यो के सामने अलग–अलग उल्लेख करना अनिवार्य होगा। मशीनों/सामानों का दरों का सत्यापन ऑनलाईन किया जायेगा, इसलिए मशीनों/सामानों का मूल्य ऑनलाईन मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. निविदा खोलने की तिथि को निविदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रह सकते है। इसकी सूचना कॉलेज के सूचनापट्ट एवं वेबसाईट पर देखी जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा बैठक में भाग नहीं लेने वाले को बाद में किसी भी प्रकार का कोई शिकायत पर विचार नहीं दी जायेगी तथा बैठक में भाग नहीं लेने वाले को बाद में किसी भी प्रकार का कोई शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का सूचना श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के **www.skmedicalcollege.org** अथवा नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है तथा वेबसाईट पर प्रकाषित सूची को डाउनलोड कर उसके क्रमानुसार ही निविदा किया जा सकता है।

4. बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठानों या लधु उधोग विभाग से निबंधित चालू इकाईयो उत्पादनरत् को नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी। बिहार में उद्योग इकाई के रूप में निबंधित फर्मो को संबंधित उधोग पदाधिकारी से चालू इकाई/उत्पादनरत का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर

उसकी स्पष्ट स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके निविदा को सामान्य निविदा समझा जायेगा।

5. स्वीकृत तकनिकी निविदा का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

5. विपत्रों का भुगतान सरकार द्वारा आवंटन प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

7. तकनिकी निविदा में प्रथम पृष्ठ पर दिये गये समानों की सूची (इन्डेक्स) आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। जिसमें स्पष्ट रूप से निविदा सूची के क्रमवार तकनिकी विवरण अंकित होना चाहिए वे किन–किन कार्यो हेतु निविदा दे रहे है एवं इस निविदा में अंकित समानों का पृष्ठ संख्या क्या है।

8. बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठानों या लघु उधोग विभाग से निबंधित चालू इकाईयों, उत्पादनरत् को नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी। बिहार में उधोग इकाई के रूप में निबंधित फर्मों को संबंधित उधोग पदाधिकारी से चालू इकाई/उत्पादनरत का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसकी स्पष्ट स्वःअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके निविदा को सामान्य निविदा समझा जायेगा।

09. निविदादाता अपने वित्तीय निविदा में सामानों का दर टैक्स सहित एवं टैक्स रहित स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे।

10. गोदरेज एवं समकक्ष का उच्चतर कोटी के ब्राण्डेड उपस्कर कों प्राथमिकता दी जायेगी।

11. निविदाता निविदा में संलग्न करने वाले सभी अनुलग्नको को पृष्ठाकित करते हुए निश्चित रूप से स्व–हस्ताक्षरीत करेंगे।

12. जिन आपूर्तिकर्ता द्वारा सामानों की आपूर्ति करने में बाधा पहूँचायी जायेगी या समय पर आपूर्ति करने में वे विफल रहेंगे, उनकी अग्रघन की राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जायेगी। किसी भी सामानों/मशीन के मरम्मति उपरांत उसका एक वर्ष का गारंटी देना अनिवार्य होगा। यदि एक वर्ष के अन्दर में मरम्मति किये गये मशीन में खराबी आती है तो आपूर्तिकर्ता को निःशुल्क उस मशीन का पुनः मरम्मती करना पड़ेगा, अन्यथा उनका अग्रधन जप्त करते हुए उन पर कानूनी कर्रवाई की जायेगी।

13. मशीन/उपकरण, अपग्रेडेशन आदि की आपूर्ति/अधिष्ठापन संबंधित विभागों में करनी होगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा मशीन/उपकरणों या अपग्रेडेशन का कार्य/आपूर्ति/अधिष्ठापन निर्धारित विभाग/स्थापना में कर इसका प्रदर्शन/प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष के समझ करना होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि नहीं दी जायेगी। संबंधित विभाग द्वारा संतोषजनक आपूर्ति पश्चात ही विपत्रों के भुगतान की प्रकिया की जायेगी। निविदादाता को स्वीकृत सामानों/कार्यो का नमूना या कैटलॉग एवं अन्य आवश्यकतानुसार छोटी मशीन एवं अन्य सामग्री मांग करने पर निरीक्षण हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।

14. आपूर्तिकर्ता को मानक कम्पनी का दर/डी0जी0एस0 एण्ड डी0 का दर यदि उपलब्ध हो का रेट का उल्लेख अपने निविदा में करना होगा। मशीन, सामग्री आदि का मूल्य किसी भी परिस्थिति में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिलिंग मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही निविदादाता को इस आशय का धोषणा पत्र (नोटरी पब्लिक द्वारा) मूल रूप में देना होगा कि निविदा में अंकित दर केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिलिंग मूल्य के अन्तर्गत है।

15. नियमानुसार जिन निविदादाताओं का तकनिकी निविदा क्रय समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोला जायेगा। जिन निविदादाताओं का जिन सामानों/कार्यो का स्पेसीफिकेशन, गुणवत्ता आदि के आधार पर तकनिकी निविदा क्रय समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं सामानों/कार्यो का वित्तीय तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जायेगा, जिन सामानों/कार्यो को क्रय समिती द्वारा तकनिकी रूप से स्वीकृति नहीं किया जायेगा उन समानों/कार्यो का वित्तीय तुलनात्मक विवरणी तैयार नहीं किया जायेगा। जिन निविदादाताओं का तकनिकी निविदा क्रय समिति द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा उन निविदादाताओं का निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा तकनिकी रूप से अस्वीकृत निविदादाताओं का किसी प्रकार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

16. जिन आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्व में कार्य असंतोषप्रद रहा हो उन आपूर्तिकर्ताओं का निविदा अस्वीकार किया जायेगा। जिन आपूर्तिकर्ताओं का कार्य पूर्व में असंतोषप्रद रहा हो, उनके द्वारा दूसरे फर्म/एजेन्सी के नाम से निविदा डालने पर भी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

17. एक लाख तक के मशीन/उपकरण की एक वर्ष की गारंटी अनिवार्य होगी तथा चार वर्षो का वार्षिक रख–रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) का प्रतिवर्ष का दर प्रतिशत तकनिकी निविदा अथवा वित्तीय निविदा में उल्लेख करना होगा।

18. एक लाख से उपर मशीन/उपकरण/उन्नयन कार्य के लिए तीन वर्षो का कम्प्रीहेसीव वारंटी अनिवार्य होगा तथा पॉच वर्षो का वार्षिक रख–रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) का प्रतिवर्ष का दर प्रतिशत तकनिकी निविदा अथवा वित्तीय निविदा में उल्लेख करना होगा।

- कंडिका–17 एवं 18 में वर्णित सभी मशीन उपकरणों/उन्नयन कार्यो का गारंटी/वारंटी अवधि समाप्त होने के उपरांत किये गये ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा अपितु गारंटी/वारंटी समाप्ति उपरांत किये गये ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 (वार्षिक रख–रखाव) का एक वर्ष का अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप संबंधित विभागों से मशीनों के संतोषप्रद संचालन एवं कार्यरत संबंधित प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं आवंटन उपलब्ध रहने के उपरांत ही ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 का भुगतान की प्रकिया प्रारंभ की जायेगी। आवंटन के अभाव में भुगतान में हुये देरी के लिए अलग से कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

19. आपूर्तिकर्ता को एक लाख से उपर वाले मशीन/उपकरण (बड़े मशीन)/उन्नयन कार्य आदि का अधिष्ठापन टर्न–की वेसीस पर करना होगा। अधिष्ठापन हेतु सिर्फ जगह (मकान/कमरा) आवश्यकतानुसार एवं विधुत आपूर्ति व्यवस्था संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

20. मशीन उपकरण आपूर्ति एवं उन्नयन कार्य हेतु मडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में पूर्व में किये गये आपूर्ति/उन्नयन किये गये कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने वाले निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी।

21. विपत्र का भुगतान आवंटन उपलब्ध रहने के आधार पर नियमतः श्रोत पर इन्कम टैक्स, विक्रय–कर आदि कटौती करने के बाद चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

22. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

23. अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द अथवा अस्वीकृत कर सकता है साथ ही निविदा की तिथि में परिवर्तन कर सकते है।

24. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्रा जिला स्तर पर मुजफ्फरपुर न्यायालय एवं राज्य स्तर पर पटना उच्च न्यायालय होगा।

25. मशीनों एवं उपकरणों का प्रतिस्थापन/वापस लेने की नीति पर विचार महाविद्यालय क्रय समिति द्वारा किया जायेगा जो कि निविदादाता को मान्य होगा।

26. Gem से निबंधित आपूर्तिकर्ता को सरकारी निर्देशानुसार प्राथमिकता दी जायेगा।

27. वित्तीय निविदा में कोटेड दर क्रमानुसार Ms Excel File में ही देंगे, जो महाविद्यालय वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। जिस आईटम/सेवा का कोटेड दर नही देना हो उसे खाली/शुन्य छोड़ देंगे।

Bikash Kumar, 31/1/19
प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।